



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 180/2017 धारा-376 भा०द०सं० व 4 पोक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त प्रदेश लोधी पुत्र फूल सिंह लोधी निवासी पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी  
एडीजीसी रुद्र प्रताप  
सिंह



विवेचक-  
निरी० शिवमूरत  
यादव



पैरोकार- थाना  
जलालपुर  
हे०का० मनोज कुमार